फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर।

(वाद) संख्या :- 05 /2022

श्रवणी बनाम मंजू

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.01.2023	प्रार्थी की ओर से वकील श्री मुकेश मामोडिया में यह अतर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 08.02.2023 को पेश हो प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित करने व नवनिमार्ण करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रूप से इस आशय की जारी की जाती है। कि अप्रार्थीगण ग्राम तीतरिया के नया खाता नंबर 151 के खसरा 1362, 1375, 1376/3832, 1378, 1379 कुल किता 5 कुल रकबा 1.95 है0 वाके ग्राम तीतरिया पटवार हल्का तीतरिया तहसील चाकसू का **आगामी तारीख 08.02.2023 पेशी तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** उक्त स्थगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अमल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीयों की नोटिस की तामील की सामान्य एवं साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेवाकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 08.02.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	
20/1/23	पत्रावली आज वकील वादी के विड्रो प्रा. पत्र पर तलब की गई। वकील वादी ने कथन किया कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है, और पक्षकारान प्रा. पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, व लोक अदालत की भावना से विड्रो करना चाहते हैं। अत:	प्रा० पत्र आगे नहीं चलाना चाहती है श्रवणी

प्रा. पत्र विड्रो प्रा. पत्र के स्वीकार होने से विड्रो (खारिज) किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

घोटा

Identified by
(हस्ताक्षर)
20/01/23